



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यासाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 02 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 242

महत्वपूर्ण एवं खास

दो भारतीय हवाई अड्डों को मिला हरित सम्मान

नई दिल्ली (आरएनएस)। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद् एसीआई एशिया प्रशांत कार्यालय ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डा सम्मान दिया है। एसीआई एशिया प्रशांत कार्यालय की ओर से एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीनी ताइपेई और हांगकांग के छह हवाई अड्डों को हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के लिए दो श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सालाना ढाई करोड़ से अधिक यात्रियों की श्रेणी में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्लेटिनम सम्मान दिया गया है। इसी श्रेणी में हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गोल्ड और चीनी ताइपेई के ताओयुआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सिल्वर सम्मान प्रदान किया गया है।

वाराणसी में गोयनका छात्रावास का एक हिस्सा गिरा, दो मजदूरों की मौत

वाराणसी (आरएनएस)। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंगलवार सुबह ललिताना घाट के पास निर्माण कार्य के दौरान सुबह गोयनका छात्रावास परिसर का एक हिस्सा गिर गया है। इसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात घायल हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गोयनका छात्रावास परिसर का एक हिस्सा गिरने से दो मजदूरों अमीनुल मोमिन और एबाउल मोमिन की मौत हो गई है जबकि सात मजदूर घायल हो गए हैं। यह सभी पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए बड़े इलाके में अधिग्रहण किया गया है। कॉरिडोर निर्माण में लगे कंपनी के कर्मचारी यहां रहते-खाते थे। मंगलवार तड़के अचानक जर्जर हिस्से भरभराकर सोते हुए श्रमिकों पर गिर गया। दशाक्षमेध थाना क्षेत्र में विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए हो रही खुदाई की वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में जर्जर हो चुके दो मंजिला मकान के मंगलवार सुबह भरभराकर गिरने से दो श्रमिकों की मौत हो गई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल एम्स में हुए भर्ती

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने के बाद मंगलवार सुबह उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निशंक अप्रैल महीने के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद मंगलवार 1 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना ठीक होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के कारण एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। डॉक्टरों ने फिलहाल निशंक का उपचार शुरू कर दिया है। एम्स के अधिकारी ने निशंक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि डॉ निशंक की जांच की जा रही है फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर प्रश्न सामने नहीं आए हैं। 21 अप्रैल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्वयं को घर पर ही आइसोलेट कर लिया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री डटन से टेलीफोन पर की बातचीत

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 01 जून, 2021 को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने उस गतिशीलता को याद किया, जिसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग ने जून, 2020 में साझेदारी को उन्नत करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाने के दौरान प्राप्त किया है। वहीं इस आगे बढ़ती हुई साझेदारी में अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बातचीत के दौरान, दोनों मंत्रियों ने 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जल्द से जल्द बुलाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया।

देश में कम होना शुरू हुआ कोरोना संक्रमण का असर, 24 घंटे में 1.27 लाख नए मामले, 2795 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन धीरे धीरे दैनिक मामलों में कमी आ रही है। वहीं संक्रमण से मरने वाला दैनिक आंकड़ा भी तीन हजार से कम आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 54 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम 1,27,510 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 2,81,75,044 हो गई है। वहीं नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी कम होकर 6.62 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय कक आंकड़ों के अनुसार देश में 2,795 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,31,895 हो गई। देश में 35 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। वहीं 43 दिन



बाद उपचाराधीन मामले भी 20 लाख से कम दर्ज किए गए। वहीं आंकड़ों के अनुसार संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 19वें दिन संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही। देश में अभी तक कुल 2,59,47,629 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 92.09 प्रतिशत हो गई है। वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत हो गई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50

संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में सक्रिय मामलों में 50 फीसदी की कमी आई है। वहीं बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1.3 लाख की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक सप्ताह से लगातार मामले घट रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि तीन मई को देश में 17.13 फीसदी सक्रिय मामले थे अब वह सिर्फ 6.73 फीसदी रह गए हैं। देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी 43 दिन बाद 20 लाख से कम हो गई है। अभी 18,95,520 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 6.73 प्रतिशत

है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 1,30,572 की गिरावट आई है। **29 राज्यों में पांच हजार से कम मामले-** स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 5000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे जिले अब 295 रह गए हैं। **पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम-** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 34,67,92,257 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 19,25,374 नमूनों की जांच सोमवार को की गई। मंत्रालय ने बताया कि नमूनों के संक्रमित पाए जाने की दैनिक दर अब 6.62 प्रतिशत है, जो लगातार आठ दिन से 10 प्रतिशत से कम बनी हुई है। वहीं, संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 8.64 प्रतिशत हो गई है। लव अग्रवाल ने कहा कि 16-22 फरवरी के बीच प्रतिदिन देश में 7.7 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे थे। अब हम लगभग 20 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम देश में कुल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। **देश में 21.6 करोड़ का टीकाकरण-** लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग में 15.48 करोड़ डोज, हेल्थकेयर को 1.67 करोड़ डोज और फंटेलाइन वर्कर्स को 2.42 करोड़ डोज, 18-44 आयु वर्ग को 2.03 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सिजन पर हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सिजन सांद्रकों पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था। **विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया -** न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं। अर्दनीं जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सिजन सांद्रकों समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा। **21 मई को आया था फैसला-** दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सिजन सांद्रकों पर आईजीएसटी लगाए जाने को 21 मई को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इस संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी। अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सिजन सांद्रकों पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में हो या फिर किसी अन्य तरीके से आए हों।

तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मामले में चुनौती

मुस्लिम लीग केंद्र सरकार के आदेश को लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली (आरएनएस)। इंडियन यूनिन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की इजाजत दी गई है। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि आईयूएमएल ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए), 2019 को चुनौती दी थी। गृह मंत्रालय द्वारा 28 मई को जारी इस अधिसूचना में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले

वर्ष 2016 में देश के 16 जिलाधिकारियों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा गया था। आईयूएमएल ने लंबित सीए मामले में एक आवेदन दायर कर 28 मई की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण को अनुमति नहीं देते हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा- 5 (1) (ए) (जी) पंजीकरण द्वारा योग्य लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है जबकि अधिनियम की धारा-6 किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी को छोड़) को प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। **अधिसूचना समानता के अधिकार के खिलाफ-** आईयूएमएल ने अपने आवेदन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से दो प्रावधानों की कम करने का प्रयास किया गया है, जो अवैध है। लीग का कहना है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता के अधिकार) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, केन्द्र ने लिया फैसला

स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है: मोदी
नई दिल्ली (आरएनएस)। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है। लंबे समय से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि अगर आप पिछले साल की तरह परीक्षा रद्द न करने का निर्णय लेते हैं, तो उसका उचित कारण बतायेंगे। आज बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और पैरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि अगर आप



में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। पीएम ने कहा कि कोविड के हालात अस्थिर हैं। देश के कुछ राज्यों में जहां माइक्रो-कटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण का दर कम हो रहा है, वहीं कुछ जगहों पर अब भी लॉकडाउन लगा है। ऐसी परिस्थिति में पैरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स खुद भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में स्टूडेंट्स पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का दबाव नहीं डालना चाहिए। सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम कैसिल होने के बाद अब अहम सवाल यह है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे और रिजल्ट कैसे बनेगा? केंद्र व सीबीएसई ने कहा है कि समय के अनुसार उचित क्राइटीरिया के तहत मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट तैयार होगा। वहीं स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्यौरा

केंद्र सरकार को ब्यौरा पेश करने के जारी किये निर्देश
नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को पेश करना होगा। इसके लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इन अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना, जिसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा दिया जाएगा, की निगरानी कैसे की जाएगी, इसका भी विवरण पेश करे। सुप्रीम कोर्ट मामले की सोमवार को आगे सुनवाई करेगी।



इससे पहले सभी राज्यों को अपने यहां अनाथ हुए बच्चों की संख्या एनसीपीआर पोर्टल पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, गत दिनों पीएम मोदी ने देश में महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई व परवरिश के लिए विस्तृत योजना पेश की है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता व 10 लाख रुपये की एफडी का प्रावधान किया गया है।

विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम का हुआ आयोजन

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल पहली जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता। मंत्री जी ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। जिसकी तीन श्रेणियां हैं द्व) सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, द्व) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और)सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी / दुग्ध उत्पादक कंपनी / एफपीओ।



उन्होंने उल्लेख किया कि पात्र किसान/डेयरी स ह क 1 र ी समितियां/एआई तकनीशियन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पुरस्कार के लिए पोर्टल 15 जुलाई 2021 से खुलेगा। पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। उन्होंने उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई गोपाला ऐप के एकीकरण की भी घोषणा की ताकि उमंग प्लेटफॉर्म के 3.1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को ऐप तक पहुंच प्राप्त हो सके। ई-

देशों में एक वैश्विक लीडर है और 2019-20 के दौरान 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। 2018-19 के दौरान दूध के उत्पादन का मूल्य वर्तमान कीमतों पर 7.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक है जो गेहूँ और धान के कुल उत्पादन के मूल्य से भी अधिक है। मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन 6.3 प्रतिशतप्रति वर्ष की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2013-14 में जहां 307 ग्राम थी

बढ़कर 2019-2020 में 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई है जो कि 32.24 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को आजीविका प्रदान करता है इसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत और भूमिहीन किसान हैं देश की डेयरी सहकारी समितियों को अपनी बिक्री का औसतन पचहत्तर प्रतिशत किसानों को प्रदान करती है और 2 करोड़ से अधिक डेयरी किसान डेयरी सहकारी समितियों में संगठित हुए और 1.94 लाख डेयरी सहकारी समितियां दूध गांवों से दूध एकत्र कर रही हैं। वर्चुअल कार्यक्रम को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री डॉ संजीव कुमार बालयान और प्रताप चंद्र सारंगी ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में वस्तुतः किसानों, डेयरी संघों के सदस्यों, डेयरी सहकारी समितियों, अनुसंधान विद्वानों, प्रशासकों आदि ने भाग लिया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम में नस्ल सुधार प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, इस सत्र में कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।